

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

SD-211837

केस संख्या

12/12

बनाम

गिरी कर्ण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

25/11/12

वकील शिरीश रमण शर्मा मालक के जारी डीडी नो. 1000 की परत के वापस रिफंड के रूप में राशि 50000/- की रकम पकड़नी का कार्यवाही प्रो. श्री जति प्रसाद पकड़नी के माध्यम से होना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान